Title: Demand to protect the land acquisition of the dalits of the villages Karakhiyan, Block-Kolasala district Varanasi from the Govt. of Uttar Pradesh.

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामसभा करखियांव, मौजा, डिग्घी, परगना-कोलअसला, जिला-वाराणसी, उ.प्र. के दलितों की भूमिधरी शतप्रतिशत कृाि उपजाऊ जमीन यू.पी.एस.आई. डी.सी. कानपुर द्वारा जिलाधिकारी, वाराणसी, उ.प्र. के माध्ययम से उ.प्र. सरकार के शासनादेशों संख्या-1995109-03-85-रा-13 दिनांक 24.9.1995 एवं संख्या 2011/90-47- रा-13-दिनांक 13.2.1990 की अवहेलना करते हुए जबरदस्ती ली जा रही है। पूरे मौजा के दलितगण भूमिहीन होते जा रहे हैं जबकि शासनादेश में कहा गया है कि दलितों की जमीन लेकर उन्हें भूमिहीन न किया जाये।

महामहिम रा्ट्रपति जी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम दिये गये संदेश में भी कहा है कि आदिवासियों एवं दलितों की भूमि किसी भी हालत में न ली जाये। ऐसे कानून हैं जो कि भूमि लेने पर रोक लगाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णयों के माध्यम से इन उपबन्धों का समर्थन किया है।

आपसे मेरा अनुरोध है कि उक्त दलितों की जमीन को छोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश यू.पी.एस.आई.डी.सी., कानपुर को जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से देने का कट करें।